म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
आवक क्रमांक TB-1565
दिनांक 5/6/2025
9/6

मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग,
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 686 **/2703580/2025/तैंतीस** **भोपाल, दिनांक** 4 **/06/2025**

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
भोपाल ।

विषयः- पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 6 की उपकंडिका 6.1 एवं 6.2 अंतर्गत हेरिटेज संपत्तियों में हेरिटेज होटल की स्थापना पर अनुदान की पात्रता की अन्य शर्तें निर्धारण बावत ।

--o o--

उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा पर्यटन नीति- 2025 जारी की गई है । उक्त नीति की कंडिका 6 "पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान" की उपकंडिका 6.1 एवं 6.2 में वर्णित अन्य शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

6.1 - निजी स्वामित्व के हेरिटेज होटल स्थापित कर संचालन आरम्भ करने तथा HRACC (Hotel & Restaurant Approval and Classification Committee) / मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा, हेरिटेज प्रमाणीकरण उपरांत पूँजीगत अनुदान नियमानुसार देय होगा ।

6.2 - पर्यटन विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा लीज पर दी गई हेरिटेज संपत्तियों पर हेरिटेज होटल स्थापित कर संचालन आरम्भ करने तथा HRACC (Hotel & Restaurant Approval and Classification Committee) / मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा, हेरिटेज प्रमाणीकरण उपरांत पूँजीगत अनुदान नियमानुसार देय होगा ।

Dir (I.P.)

(राजेश कुमार गुप्ता)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

6.19 9/6/25